फर्द अहकाम
(नियम 26)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी दौसा (जिला दौसा)

विष्णुप्रसाद बनाम मोहनलाल वगै.

किस्म मुकदमा : प्रार्थना पत्र अस्थायी निषेधाज्ञा

मुकदमा नम्बर : 23/2023

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
30.04.2026	पत्रावली पेश हुयी। वकील उभयपक्ष उपस्थित। प्रकरण में वास्ते आदेश आज की तिथि नियत है। प्रार्थी द्वारा इस प्रार्थना पत्र अस्थायी निषेधाज्ञा के जरिये ग्राम दौसा कलां तहसील दौसा स्थित प्रश्नगत आराजी खसरा नम्बर 1863 लगायत 1866, 1867/1, 1868/1, 1868/3, 1869/1, 1869/3 के संबंध में अप्रार्थी संख्या 1 लगायत 9 के विरुद्ध अस्थायी निषेधाज्ञा का अनुतोष चाहा गया है। अप्रार्थी संख्या 1 व 3 लगायत 9 की ओर से प्रस्तुत जवाब में प्रार्थना पत्र अस्थायी निषेधाज्ञा को स्वीकार करने में सहमति व्यक्त की गयी है। अप्रार्थी संख्या 2 के विरुद्ध बावजूद तामील न्यायालय में उपस्थित न होने के कारण एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लायी जा चुकी है। प्रकरण में बहस उभयपक्ष सुनी गयी। पत्रावली का अवलोकन किया गया एवं बहस पर मनन किया गया। प्रकरण में प्रथम दृष्टया मामला, सुविधा का सन्तुलन व अपूर्णीय क्षति के संबंध में तथ्य निम्न प्रकार हैं :- **प्रथम दृष्टया मामला :** पत्रावली पर उपलब्ध जमाबन्दी आधार सम्वत् 2072-2075 (वर्ष 2019 से स्थायी) अनुसार ग्राम दौसा कलां तहसील दौसा स्थित प्रश्नगत आराजी खसरा नम्बर 1863 लगायत 1866, 1867/1, 1868/1, 1868/3, 1869/1, 1869/3 प्रार्थी, अप्रार्थी संख्या 1 लगायत 6, 8 एवं पुष्पलता पुत्री रामजीलाल जाति ब्राह्मण, हेमलता पुत्री रामजीलाल जाति ब्राह्मण के नाम राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज होना प्रमाणित होता है। वकील प्रार्थी ने बहस के दौरान कथन किया कि उक्त खातेदार पुष्पलता पुत्री रामजीलाल जाति ब्राह्मण व हेमलता पुत्री रामजीलाल जाति ब्राह्मण प्रकरण में क्रमशः अप्रार्थी संख्या 7 व 9 के रूप में सृजित हैं। इस प्रकार प्रथम दृष्टया मामला प्रार्थी एवं अप्रार्थी संख्या 1 लगायत 9 के पक्ष में साबित होता है। **सुविधा का सन्तुलन :** प्रार्थी द्वारा इस पत्रावली से संबंधित दावा पत्रावली में प्रश्नगत आराजी के संबंध में तकास्मा व स्थायी निषेधाज्ञा का अनुतोष चाहा गया है। पत्रावली पर	उपखण्ड अधिकारी दौसा (राज0)

उपलब्ध जमाबन्दी अनुसार ग्राम दौसा कलां तहसील दौसा स्थित प्रश्नगत आराजी खसरा नम्बर 1863 लगायत 1866, 1867/1, 1868/1, 1868/3, 1869/1, 1869/3 प्रार्थी, अप्रार्थी संख्या 1 लगायत 6, 8 एवं पुष्पलता पुत्री रामजीलाल जाति ब्राह्मण, हेमलता पुत्री रामजीलाल जाति ब्राह्मण के नाम राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज होना प्रमाणित होता है। वकील प्रार्थी ने बहस के दौरान कथन किया कि उक्त खातेदार पुष्पलता पुत्री रामजीलाल जाति ब्राह्मण व हेमलता पुत्री रामजीलाल जाति ब्राह्मण प्रकरण में क्रमशः अप्रार्थी संख्या 7 व 9 के रूप में सृजित हैं। अतः सुविधा सन्तुलन का बिन्दु प्रार्थी एवं अप्रार्थी संख्या 1 लगायत 9 के पक्ष में साबित होता है।

अपूर्णीय क्षति : प्रथम दृष्टया मामला एवं सुविधा सन्तुलन का बिन्दु प्रार्थी एवं अप्रार्थी संख्या 1 लगायत 9 के पक्ष में साबित होने के फलस्वरूप अपूर्णीय क्षति का बिन्दु भी प्रार्थी एवं अप्रार्थी संख्या 1 लगायत 9 के पक्ष में निर्धारित किया जाता है।

निष्कर्षतः प्रथम दृष्टया मामला, सुविधा का सन्तुलन एवं अपूर्णीय क्षति का बिन्दु प्रार्थी एवं अप्रार्थी सख्ंया 1 लगायत 9 के पक्ष में साबित होने के फलस्वरूप प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र स्वीकार किये जाने योग्य प्रतीत होता है। अतः प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अस्थायी निषेधाज्ञा स्वीकार किया जाता है एवं ग्राम दौसा कलां तहसील दौसा स्थित प्रश्नगत आराजी खसरा नम्बर 1863 लगायत 1866, 1867/1, 1868/1, 1868/3, 1869/1, 1869/3 के राजस्व रिकॉर्ड की यथास्थिति बनाये रखे जाने हेतु उभयपक्ष (प्रार्थी एवं अप्रार्थी संख्या 1 लगायत 9) को इस पत्रावली से संबंधित दावा पत्रावली के निर्णय तक पाबन्द किया जाता है। पत्रावली फैसलशुमार होकर नम्बर से कम हो एवं मूल दावा पत्रावली के हमफीता रहे।

उपखण्ड अधिकारी
दौसा (राज०)

Scanned with OKEN Scanner